

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)/(एम-940/2013)/अलेसे-III/353

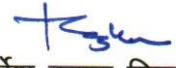
दिनांक:- 22-03-2021

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 50/2017-18 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा श्री मनोज कुमार (मेरिट नं. 940 बैच-2013 लिंक नं. 12149) को कनि. लेखाकार के पद पर नियुक्ति देते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, पाली में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांक 03.07.2017 को कार्यग्रहण किया गया।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, पाली के पत्रांक 1388 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा अग्रेषित श्री मनोज कुमार, कनि. लेखाकार के प्रार्थना-पत्र द्वारा उनका राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक-राजस्थानी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2018 में अंतिम चयन होने पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/मा./संस्थान/सी-5/नियु.पीएससी-2018/राजस्थानी /2021/6-8/दिनांक 18.03.2021 के द्वारा श्री मनोज कुमार का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुगराड़ा (219596), जायल, नागौर में व्याख्याता (राजस्थानी) के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु कनि. लेखाकार के वर्तमान धारित पद से कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः श्री मनोज कुमार, कनि. लेखाकार का उनके प्रार्थना-पत्र के आधार पर वर्तमान धारित कनि. लेखाकार के पद से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। श्री मनोज कुमार अपने वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही अपने नवीन पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। नियमानुसार इनका कनि. लेखाकार पद पर पदाधिकार रहेगा।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ4(ई)/(एम-940/2013)/अलेसे-III/353

दिनांक:- 22-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, पाली।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. श्री मनोज कुमार, कनि. लेखाकार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, पाली।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)